

दिनांक 21.09.2016 को कृषि विभाग के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी में संधारित।

1. कृषि निदेशक, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

2. डीजल अनुदान

2.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि डीजल अनुदान वितरण की स्थिति कुछ जिलों में बेहतर है जबकि कुछ जिलों में स्थिति बहुत दयनीय है। दरभंगा, मधुबनी, बेगुसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया एवं मधेपुरा में डीजल अनुदान का वितरण अभी तक नहीं हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल एवं लखीसराय द्वारा बताया गया कि उनके जिला में डीजल अनुदान का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। सूचित किया गया कि डीजल अनुदान हेतु सब्जी एवं अन्य फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। यदि कोई किसान आवेदन देता है तो उसका सत्यापन कर डीजल अनुदान देने की कार्रवाई की जाय तथा डी0सी0 विपत्र पर ही राशि की निकासी की जाय।

2.2 सूचित किया गया कि अकाशवाणी एवं रेडियोमिर्ची पर डीजल अनुदान के संबंध में प्रचार-प्रसार करने की कार्रवाई की जा रही है।

(अनु0- कंडिका 2.1 एवं 2.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. बीज

3.1 उप निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं मिनीकिट बीज वितरण योजना अन्तर्गत अभी तक मात्र 5 जिलों यथा रोहतास, अरवल, नवादा, पूर्णिया एवं पूर्वी चम्पारण में राशि की निकासी की गयी है। शेष जिलों में अभी तक राशि की निकासी नहीं हुई है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 30.09.2016 तक राशि की निकासी कर संबंधित को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 30.09.2016 तक निकासी एवं भुगतान नहीं करने वाले जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनु0- सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक, शष्य बीज)

3.2 निदेश दिया गया कि रबी में संचालित होने वाली योजना " प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु आधार बीज पर अनुदान की योजना" अन्तर्गत इच्छुक किसानों को Krishimis पर दिनांक 25.09.2016 तक निश्चित रूप से पंजीकरण करवा लिया जाय।

3.3 रबी की तैयारी हेतु सर्वप्रथम दलहनी फसलों के बीज की आवश्यकता का आकलन कर बीज आपूर्तिकर्ता कम्पनियों/निगमों यथा NSC, HIL आदि से अपने डीलरों के माध्यम से बीज का आरक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय।

3.4 निदेश दिया गया कि बीज योजना से संबंधित सभी प्रतिवेदन Google doc पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाय।

(अनु0-3.2 से 3.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. मिट्टी नमूना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड :-

4.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अवशेष मिट्टी नमूना संग्रह का लक्ष्य अधिकांश जिलों में बहुत अधिक है। औरंगाबाद, भोजपुर, नालन्दा, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं पूर्णिया में मिट्टी नमूना संग्रह का बहुत अधिक लक्ष्य अवशेष है। अभियान चलाकर एवं अवशेष लक्ष्य के अनुसार मानव बल लगाकर अभी से ही प्रतिदिन मिट्टी नमूना संग्रह कराने का निदेश दिया गया।

